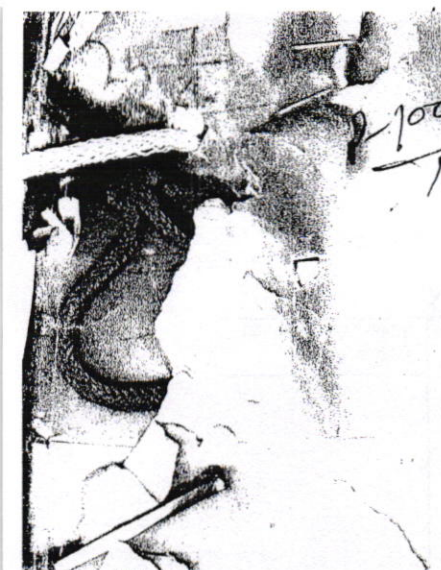

100868345708
16-7-15

विविध 3906-III/2015

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, जिला मंदसौर म0प्र0

********

क्रमांक /आरटीएसी/2002, दिनांक

प्रति,

अवर सचिव,
राजस्व मण्डल, म.प्र.
ग्वालियर

---

विषय:-प्रकरण क्रमांक 92/स्वमेव निगरानी/2001-02 भेजने बाबत् ।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1872/चार/02, दि. 14-8-02.

---

उपरोक्त विषय में संदर्भित आदेश के पालन में इस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 92/स्वमेव निगरानी/2001-02 आपके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक आर-1872/चार/02 में चाहा गया है ।

उक्त प्रकरण सहपत्रों सहित मय फ्लायशीट के प्रेषित है कृपया प्राप्ति की अभिस्वीकृति भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न:- प्र.क्र. 92/स्वमेवनिगरानी/2001-02
फ्लायशीट पेज 1 से 10 तक
अन्य सहपत्र 1 से 33

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला मंदसौर

आवक क्रमांक
1776
18.9.02

पृ.क्रमांक 1244 /आरटीएसी/2002, दिनांक 12-9-202

प्रतिलिपि:

1/- अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ,
संलग्न:- प्र.क्र. 72/अपील/2000-01
2/- तहसीलदार सीतामऊ,
संलग्न:- प्र.क्र. 27/अ-6(अ)/2000-01

R-I
13/9/02

अतिरिक्त कलेक्टर
जिलामंदसौर

राजस्व मण्डल
6082
16-7-15
मध्यप्रदेश ग्वालियर

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक मिस. 3906–तीन/2015** **जिला मंदसौर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05.10.16 | आवेदक शासन की ओर से श्रीमती नीना पाण्डे पेनल लॉयर उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0शर्मा उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में दर्ज किया गया है और संहिता की धारा 50 में हुये संशोधन के फलस्वरूप कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी सुनने के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अपर कलेक्टर द्वारा बिना वैधानिक प्रावधानों का अवलोकन किये प्रकरण को इस न्यायालय को सुनवाई हेतु भेजा गया है । अतः प्रकरण मूलतः अपर कलेक्टर को वापिस भेजा जाकर उभयपक्ष को सुनकर गुणदोष पर निराकरण किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।<br><br>अध्यक्ष | |